झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– वा0कर1 / विविध / 22 / 2010 – 5609 / राँची, दिनांक – 01 | 11 | 13

प्रेषक,

मस्त राम मीणा
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) / (वैट ऑडिट) / (अपील),
सभी अंचल प्रभारी।

विषयः– विभागीय अधिसूचना संख्या एस0ओ 143 दिनांक 23.07.2011 के नियम 11 A के उपनियम (2) के अधीन **ऑनलाईन केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र 'सी'** के निर्गमन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय परिपत्र संख्या– 327 (अनु0) दिनांक 25.01.2012 एवं पत्रांक 1710 दिनांक 25.03.2013

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक परिपत्र / पत्र के कम में **ऑनलाईन केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र 'सी'** की निर्गमन प्रकिया के अधीन विभिन्न व्यवसायियों के प्रतिवेदन के आलोक में प्रासंगिक परिपत्र की कंडिका–3 में निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः–

- **सितम्बर, 2013** (वित्तीय वर्ष 2013–14 प्रथम द्वारा द्वितीय त्रैमास) तक किए गए ऑफलाईन कर भुगतान के आधार पर भी **वैधानिक प्रपत्र 'सी'** का ऑनलाईन निर्गमन किया जा सकता है। संबंधित अंचल प्रभारी को व्यवसायी द्वारा किए गए ऑफ–लाईन कर भुगतान का सत्यापन करते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुख्यालय को अनुशंसित करना होगा। मुख्यालय स्तर पर "Command" देने के उपरांत व्यवसायी ऑनलाईन **वैधानिक प्रपत्र 'सी'** का निर्गमन कर सकते हैं।

  सभी अंचल प्रभारियों को यह निदेश दिया जाता है कि माह अक्टूबर 2013 के देय कर (माह नवम्बर, 2013 में भुगतेय) का ऑफलाईन भुगतान स्वीकृत नही करें। वर्तमान वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास से किसी भी स्थिति में ऑफ–लाईन कर भुगतान के आधार पर **प्रपत्र 'सी'** का निर्गमन नही होगा। उक्त अवधि के उपरांत ऐसी समस्या की पूरी जिम्मेवारी संबंधित अंचल प्रभारी की मानी जाएगी।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर संबंधित अधिनियम / नियमावली / सॉफ्टवेयर में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन / परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

1.11.13

(मस्त राम मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।

/ पंकज